

बिहार सरकार  
विधि विभाग  
॥ कार्यालय आदेश ॥

का0आ0सं0-ए0/ए0जे0-57/2012/113/जे0, पटना, दिनांक-22.09.2014

बिहार राज्य मुकदमा नीति-2011 की कंडिका-4ए(1) में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय शिकायत निवारण समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-


(क) शिकायत निवारण समिति -

- |    |                                 |   |            |
|----|---------------------------------|---|------------|
| 1. | विभागीय सचिव                    | - | अध्यक्ष    |
| 2. | श्री उज्ज्वल कुमार दुबे         | - | सदस्य सचिव |
|    | विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी |   |            |
| 3. | श्री राजीव कुमार                | - | सदस्य      |
|    | अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी    |   |            |
| 4. | श्री संजय कुमार                 | - | सदस्य      |
|    | अवर सचिव                        |   |            |
| 5. | श्री के0के0 दास                 | - | सदस्य      |
|    | अवर सचिव                        |   |            |

(ख) नोडल पदाधिकारी -


i. श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी को नोडल पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाता है (मोबाइल नं0-9431012630)।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

  
(अखिलेश कुमार जैन)  
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-ए0/ए0जे0-57/2012/.....6839...../जे0 पटना, दिनांक-23-09-14

प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विधि विभाग के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

  
(अखिलेश कुमार जैन)  
सरकार के सचिव, बिहार।  
23/9/14